बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सं0 :– मं0मं0–01/आर0–07/2007 1034 /दिनांक– 13 अगस्त, 2014

–:: संकल्प ::–

विषय – **उद्योग संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति का गठन।**

राज्य के औद्योगिक विकास के लिए तथा उद्योग स्थापित करने में आने वाली सभी कठिनाईयों को दूर करने तथा उसके लिए आवश्यक आदेश देने एवं विभिन्न विभागों के क्लियरेन्स/मंतव्य सिंगल विण्डो के माध्यम से प्राप्त हो, इसकी समीक्षा करने हेतु कार्यपालिका नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत उद्योग संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति का गठन किया जाता है।

2. (क) उद्योग संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति के निम्न सदस्य होंगे :–

(i)	माननीय मुख्यमंत्री	:–	अध्यक्ष
(ii)	माननीय मंत्री, उद्योग	:–	सदस्य
(iii)	माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार	:–	सदस्य
(iv)	माननीय मंत्री, वित्त	:–	सदस्य
(v)	माननीय मंत्री, वाणिज्य–कर	:–	सदस्य
(vi)	माननीय मंत्री, श्रम संसाधन	:–	सदस्य
(vii)	माननीय मंत्री, ऊर्जा	:–	सदस्य
(viii)	माननीय मंत्री, पर्यावरण एवं वन	:–	सदस्य
(ix)	माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास	:–	सदस्य
(x)	माननीय मंत्री, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध	:–	सदस्य
(xi)	माननीय मंत्री, योजना एवं विकास	:–	सदस्य
(xii)	माननीय मंत्री, पथ निर्माण	:–	सदस्य
(xiii)	माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	:–	सदस्य
(xiv)	माननीय मंत्री, सूचना प्रावैधिकी	:–	सदस्य
(xv)	माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व	:–	सदस्य
(xvi)	माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग	:–	सदस्य
(xvii)	माननीय मंत्री, कृषि	:–	सदस्य
(xviii)	माननीय मंत्री, पर्यटन		सदस्य

(ख) उद्योग संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति की बैठक में आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के माननीय मंत्री को बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है।

(ग) मुख्य सचिव उद्योग संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति के सचिव होंगे।

(घ) उद्योग संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के नियम/नीतियों की समीक्षा करेगी।

(ङ) उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक क्लियरेन्स/मंतव्य प्राप्त करने हेतु दिशा–निर्देश देगी तथा आने वाले कठिनाईयों की समीक्षा कर उसके निराकरण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश एवं सुझाव देगी।

(च) बिहार में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार के वर्त्तमान नीति/नियम/बिजनेस रेगुलेशन में परिवर्त्तन हेतु सुझाव एवं निदेश देगी।

(छ) निवेश प्रस्तावों पर सिंगल विण्डों के तहत् सभी प्रकार के आवश्यक क्लियरेन्स की समीक्षा करेगी।

(ज) उद्योग संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति का नोडल/प्रशासी विभाग उद्योग विभाग होगा।

(झ) उद्योग संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति को सचिवालीय सहायता उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

(ञ) उद्योग संबंधी मंत्रिपरिषदीय समिति से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव समिति की सहायतार्थ बैठक में उपस्थित होंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इसे 'बिहार गजट' में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 13/8/14

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–मं०मं०–01/आर०–07/2007/ 1034 दिनांक– 13 अगस्त, 2014

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सदस्य, राजस्व पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 13/8/14

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/आर०–07/2007/ 1034 दिनांक– 13 अगस्त, 2014

प्रतिलिपिः– सभी माननीय मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त संकल्प से माननीय मंत्री को अवगत कराने की कृपा की जाय।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 13/8

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/आर०–07/2007/ 1034 दिनांक– 13 अगस्त, 2014

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 13/8

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/आर०–07/2007/ 1034 दिनांक– 13 अगस्त, 2014

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को (हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सहित) सूचनार्थ एवं अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस संकल्प की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 13/8

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/आर०–07/2007/ 1034 दिनांक– 13 अगस्त, 2014

प्रतिलिपिः– आई०टी०प्रबंधक, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को सी०डी० में संधारित कर उपलब्ध कराया जाए तथा उक्त अधिसूचना को विभागीय बेवसाईट पर भी प्रकाशित किया जाए।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 13/8

सरकार के प्रधान सचिव